भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1695
(जिसका उत्तर सोमवार, 31 जुलाई, 2023/09 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है)
ब्याज दरों में बढ़ोतरी

सं. 1695.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
डॉ. हीना विजयकुमार गावित
डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव
डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) जुलाई-सितंबर, 2023 की अवधि के लिए जिन विशिष्ट लघु बचत योजनाओं के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है, उनका ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने बदलते आर्थिक माहौल और ब्याज दर परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लघु बचत योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट को सरल बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा उक्त ब्याज दर वृद्धि के कारण धन प्रवाह में संभावित वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(घ) पिछली तिमाही में उच्च ब्याज दरों के प्रभाव के कारण आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) में राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (1 वर्ष और 2 वर्ष) और राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा पर ब्याज दर में क्रमशः 10 बीपीएस और 30 बीपीएस की वृद्धि की गई है।

(ख) सरकार की यह घोषित नीति रही है कि आयकर अधिनियम, 1961 को सरल बनाने के लिए छूटों और प्रोत्साहनों को हटा दिया जाए और साथ ही करों की दरों को कम किया जाए। इस प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत छूट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) लघु बचत योजनाओं में निवेश का निर्धारण निवेशकों द्वारा किया जाता है।

(घ) लेखा महानियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के पहले दो महीनों के लिए लघु बचत योजनाओं के तहत निवल संग्रह 74,937.87 करोड़ रुपये है।

*****